न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री मनोज कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 144/2018

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
सहदेव पुत्र शैतानराम जाति जाट निवासी चातरा मांजरा तहसील व जिला नागौर।		तहसीलदार नागौर।

उपस्थिति :–
1. श्री कन्हैयालाल सुथार अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय दिनांकः 29/4/20

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, नागौर द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 110/2016 सरकार बनाम सहदेव में निर्णय दिनांक 05.03.18 के तहत मौजा रायधनु के खसरा नं. 717 गै.मु. रास्ता भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 19.04.18 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 18.05.18 को मियाद के बिन्दु पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में तहसीलदार नागौर के प्रकरण सं. 110/16 सरकार बनाम सहदेव के फर्द अहकाम दिनांक 19.12.16 से 14.7.17 की फोटोप्रति, नोटिस की फोटोप्रति, निर्णय दिनांक 5.3.18 की फोटोप्रति, नोटिस की फोटोप्रति, तहसीलदार नागौर के पत्र दिनांक 2.5.17 की फोटोप्रति, तहसीलदार नागौर के पत्र दिनांक 27.11.17 की फोटोप्रति, न्यायालय राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर के फर्द अहकाम दिनांक 15.12.16 से 16.4.18 तक की फोटोप्रति, न्यायालय राजस्व मंडल राजस्थान के निर्णय की फोटोप्रति, जमाबंदी संवत 2065–66 ग्राम रायधनू की फोटोप्रति तथा नक्शा ट्रेस किश्तवार की फोटोप्रति पेश की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय वकील उपस्थित हुए।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि सर्वप्रथम आदेश जैर अपील की जानकारी दिनांक 9.4.18 को पटवारी द्वारा बनाने पर हुई तब दिनांक 10.4.18 को नकल की अर्जी पेश की जो नकले दिनांक 11.4.18 को प्राप्त हुई। तब आदेश जैर अपील पढने पर जानकारी हुई। स्थगन आदेश की नकल अपीलार्थी के पास नही थी। जो लाने के लिये दिनांक 16.4.18 को अजमेर गया व दिनांक 17.4.18 को नकल की अर्जी पेश की जो दिनांक 17.4.18 को प्राप्त हुई। ऐसी दशा मे आदेश जैर अपील की जानकारी दिनांक 9–10 अप्रेल 2018 से अपील अंदर मयाद पेश की तथा खसरा नं. 1195/760 गै.मु. रास्ता अपीलार्थी की खातेदारी से काटकर दर्ज किया है जबकि उपखण्ड अधिकारी के आदेश के विरूद्व निगरानी राजस्व मंडल अजमेर मे चल रही है। ऐसी दशा मे यह रास्ता अंतिम रूप से निर्णीत नही है। इस वजह से यह रास्ता मानन विधि विरूद्व होने से विधि विरूद्व धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की कार्यवाही है विधि विरूद्व आदेश के विरूद्व अपील मे समयावधि का बंधन नही है। ऐसी दशा मे अपील अंदर मयाद शुमार योग्य है जिसे अंदर मयाद सुमार की जाकर गुणावगुण पर निस्तारण करने का आदेश प्रदान करावे। जिसका राजकीय वकील द्वारा विरोध नही किया गया है। अतः मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए अपीलांट की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। वकील अपीलांट ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)–आदेश जैर अपील तथ्यो व विधि के विपरीत होने से अपास्त होने योग्य है।

{2}(II)–अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज किया जाता है।

अपर कलक्टर, नागौर

अपर कलक्टर, नागौर

सर्वप्रथम दिनांक 19.12.16 को प्रकरण नायब तहसीलदार नागौर ने प्रकरण दर्ज करने का आदेश दिया। उसमे खसरा नं. 717 रकबा 14 बिस्वा पर अतिक्रमण होने का उल्लेख किया तथा धारा 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का नोटिस दिनांक 10.1.17 को उपस्थित आने का अपीलार्थी को दिया। उसमे भी खसरा नं. 717 की 14 बिस्वा भूमि के बाबत ही था।

जबकि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश जैर अपील मे बेदखली आदेश खसरा नं. 717 की 2 बीघा 4 बिस्वा भूमि व खसरा नं. 1196/760 की 14 बिस्वा भूमि पर बेदखल किया है। ऐसी दशा मे प्रतीत होता है कि जो जाहिरा तौर पर विधि विरूद्व होने से अपास्त योग्य है।

{2}(III)–अधीनस्थ न्यायालय ने सर्वप्रथम 14 बिस्वा भूमि खसरा नं. 717 के बाबत प्रकरण दर्ज किया व ऐसी ही नोटिस धारा 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दिया तथा स्टे की जानकारी आगे बढा होने के बाबत पेश करने का नोटिस दिनांक 2.5.17 को भेजा उसमे भी खसरा नं. 717 की 14 बिस्वा भूमि के बाबत ही था। बाद मे खसरा नं. 1196/760 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा जोडा गया।

जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने बेदखली आदेश खसरा नं. 717 की 2 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नं. 1196/760 की 14 बिस्वा भूमि बाबत किया है। जो रकबा व खसरा नं. मे भारी भिन्नता है। जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली मे हेराफेरी करने का स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। ऐसी दशा मे आदेश जैर अपील पूर्ण रूप से संदिग्ध होने से अपास्त होने योग्य है।

{2}(IV)–मूल रूप से अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज किया उस वक्त खसरा नं. 717 की 14 बिस्वा बाबत था। जो पटवारी की शिकायत पर दर्ज किया गया था। इसका तात्पर्य यह है कि मूल शिकायत खसरा नं. 717 की 14 बिस्वा के बाबत थी। उक्त मूल शिकायत को हटाकर दूसरी शिकायत बिना रिकार्ड देखे आनन–फानन मे पटवारी से बनवाकर भू अभिलेख निरीक्षक व पटवारी के हस्ताक्षर करवाकर पत्रावली मे शामिल कर दिया। जिस पर नायब तहसीलदार का प्रस्तुत करने का कोई इन्द्राज नही है। न ही खसरा नं व रकबा का कोई मेल प्रकरण दर्ज करने की आदेशिका से हो रहा है। इससे प्रकट होता है कि अधीनस्थ तहसीलदार ने पत्रावली के रिकार्ड मे मनचाहे ढंग से हेराफेरी कर कूटरचना की है। जो आपराधिक कृत्य है। ऐसी दशा मे आदेश जैर अपील अपास्त होने योग्य है।

{2}(V)–खसरा नं. 1196/760 के बाबत राजस्व मंडल द्वारा मौका व रिकार्ड की यथास्थिति रखा जाने का स्थगन आदेश दिनांक 15.12.16 को जारी कर दिया था। उक्त आदेश जब तक सुनवाई कर अपास्त नही कर दिया जाता तब तक अस्तित्व मे माना जाता है। ऐसा परिपत्र आदेश राजस्व मंडल अजमेर द्वारा जारी कर रखा है। जो दिनांक 5.7.06 का है। ऐसी दशा मे स्थगन आदेश दिनांक 15.12.16 आज भी अस्तित्व मे है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व मंडल के आदेश की फजीहत करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया है। जो विधि विरूद्व होने से अपास्त योग्य है।

{2}(VI)–पत्रावली नायब तहसीलदार के न्यायालय मे चल रही थी। तहसीलदार नागौर के न्यायालय मे कब और कैसे चली गई, इसका कोई उल्लेख नही है। रास्ते के लिये खसरा नं. 760 मे से रास्ता चाहने वाला प्रार्थी पेमसिंह पुत्र मोतीसिंह राजपूत था। जो शंकरसिंह तहसीलदार के रिश्तेदार है। इसी वजह से बिना क्षेत्राधिकार के नायब तहसीलदार की पत्रावली को तहसीलदार के न्यायालय मे स्थानान्तरित या विड्रो किये बिना ही फैसला किया है। जो बिना क्षेत्राधिकार के व पक्षपात पूर्ण होने से अपास्त होने योग्य है।

{2}(VII)–अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष स्थगन आदेश की प्रति उपलब्ध थी। उक्त स्थगन आदेश खारिज होने का कोई सबूत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नही था। फिर भी आदेश जैर अपील पारित किया है। जो विधि विरूद्व होने से अपास्त होने योग्य है।

{2}(VIII)–अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई साक्ष्य सबूत नही लिया। पटवारी के बयान नही लिये न ही अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिया। ऐसी दशा मे प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के विरूद्व होने से अपास्त होने योग्य है।

{2}(IX)–अपीलार्थी को नोटिस खसरा नं. 717 की 14 बिस्वा भूमि के बाबत दिया। फिर खसरा नं. 1195/760 को जोडा गया तथा खसरा नं. 717 का रकबा 14 बिस्वा से बढाकर 2 बीघा 4 बिस्वा किया गया। जो तमाम हेराफेरी तहसीलदार नागौर ने की है तथा नायब तहसीलदार के न्यायालय से पत्रावली तहसीलदार के न्यायालय मे कैसे कब प्राप्त हुई क्यो और कैसे प्राप्त हुई कोई उल्लेख नही है ये तमाम प्रश्न इस बात की तरफ इशारा करते है कि तहसीलदार नागौर ने अपने रिश्तेदारो के दबाव मे आकर विधि विरूद्व ढंग से पत्रावली मे हेराफेरी कर कूटरचना कर अपराध कारित किया है व राजस्व मंडल अजमेर का स्थगन

अपर कलक्टर, नागौर

न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

आदेश की अवहेलना कर पक्षपात पूर्ण आदेश बिना सुनवाई का अवसर दिये किया है। जो अपास्त होने योग्य है।

{2}(X)–अपीलार्थी के खातेदारी के खेत खसरा नं. 713 की 1 बीघा भूमि सडक बनाने के लिये सरकार के खाते मे बिना हर्जाना राशि दिये दर्ज कर दिया जो खसरा नं. 941/713 है। उक्त खसरा नं. की 1 बीघा भूमि के एवज मे खसरा नं. 717 गै.मु. रास्ता की भूमि अपीलांट के पक्ष मे नियमन करने की कार्यवाही अधीनस्थ न्यायालय को करनी चाहिये थी। क्योकि उक्त खसरा नं. 717 गै.मु. रास्ता का किसी भी स्थान पर अस्तित्व नही है। क्योकि समानान्तर मे ही खसरा नं. 941/713 सडक चल रही है। ऐसी दशा मे खसरा नं. 717 का न तो कोई उपयोग करता है और न ही रास्ता के रूप मे काम आ रही है। अपीलार्थी की भूमि खसरा नं. 941/713 रास्ता के रूप मे बिना हर्जाना राशि राज के खाते मे दर्ज की है। उसके एवज मे 1 बीघा भूमि खसरा नं. 717 की अपीलार्थी के पक्ष मे नियमन की जाना न्यायोचित है। ऐसा आदेश दिया जाने की भी इस्तदुआ की है।

{3}–राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा मौजा रायधनू में स्थित गै.मु. रास्ता भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलांट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके रायधनू के खसरा नंबर 717 गै.मु. रास्ता भूमि पर अपीलांट का अतिक्रमण किया जाना अभिलेख से पाया गया। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलांट का अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित होना अभिलेख से साबित भी है। आराजी भूमि की किस्म गै.मु. रास्ता है। जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। जहां तक न्यायालय राजस्व मंडल अजमेर मे निगरानी टी.ए. एक्ट सं. 8144/2016 जिला नागौर सहदेव बनाम प्रेमसिंह मे पारित आदेश दिनांक 15.12.16 बाबत विवादित आराजी के मौके व राजस्व रेकर्ड की आज की स्थिति नियत दिनांक तक यथावत कायम रखे जाने का वकील अपीलांट का तर्क रहा है उक्त आदेश इसी आराजी भूमि से संबंधित हो, ऐसा कोई आधार दस्तावेज रिकार्ड पर प्रस्तुत नही हुआ है। उक्त निगरानी वर्तमान मे लंबित है अथवा नही, एवं आया उक्त स्थगन आदेश प्रभावी हो, ऐसा भी कोई सबूत प्रस्तुत नही किया गया है। राजस्व रेकर्ड मे आराजी भूमि राजकीय भूमि होना अभिलेख पर साबित है तथा पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट दिनांक 24.04.18 के अनुसार आराजी भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नही होना भी प्रकट करता है। ऐसी स्थिति मे स्थगन आदेश जारी होने की तिथी को आराजी भूमि राजकीय भूमि होना ही साबित होता है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील कायम रखा जाता है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अपर कलक्टर,
नागौर

अपर कलक्टर, नागौर